संख्या– /XXVII(1)/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून,दिनांकः 2/मार्च, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष के अधीन बजट एवं लेखा सम्बन्धी प्रकिया तथा वित्तीय अनुशासन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या –438/वि0 अनु0–1/2002, दिनांक 05.03.02, शासनादेश संख्या– 1296/वि0अनु0–1/2003, दिनांक 25.03.2003 एवं शासनादेश संख्या– 1317/वि0अनु0–1/2003, दिनांक 31.03.2003 व शासनादेश संख्या – 85/वि0अनु0–1/2004, दिनांक 13.02.04 तथा शासनादेश संख्या – 258/वि0अनु0–1/2004, दिनांक 31.03.04 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. आप अवगत है कि आय–व्ययक (बजट) को भारत के संविधान के अनुच्छेद–202 में वार्षिक वित्त विवरण कहा गया है। विधायिका द्वारा पारित बजट साहित्य में दर्शायी गई योजनाओं (मानक मद स्तर तक) के अधीन स्वीकृत धनराशि का वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत (31 मार्च तक) उपभोग एवं उससे सम्बन्धित सभी लेखे पूर्ण कर सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जाने की अनिवार्यता है।

3. संवैधानिक प्रकिया को पूरा करने, वित्तीय अनुशासन स्थापित करने तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति (रश आफ एक्सपेन्डिचर) को नियंत्रित करने हेतु यह मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–2005 में निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार शासन/विभाग/कोषागार स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

(क) बजट नियंत्रण अधिकारी एवं प्रशासनिक विभाग अन्तिम रूप से लम्बित स्वीकृतियां/आवंटन/समायोजन का कार्य विलम्बतम् 20 मार्च तक पूरा करें तथा यह

सुनिश्चित करें कि स्वीकृतियां/आवंटन/समायोजन कार्य स्थल (संवितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् 24 मार्च तक पहुंच जाये।

(ख) वित्त विभाग सहित सभी विभागों के द्वारा 24 मार्च के बाद कोई भी वित्तीय स्वीकृति कोषागार से भुगतान/संक्रमण (ट्रान्सफर) हेतु निर्गत न की जाय।

(ग) संवितरण अधिकारी कोषागार में विलम्बतम् 28 मार्च तक अवशेष आवश्यक देयक प्रस्तुत कर देंगे। 28 मार्च के बाद कोषागार बजट सम्बन्धी किसी भी देयक के सापेक्ष चेक निर्गत करने हेतु स्वीकार नहीं करेंगे। सम्बन्धित कोषाधिकारी 28 मार्च तक प्राप्त देयकों (जिनके सापेक्ष चेक निर्गत न किये गये हों) का संवितरण अधिकारीवार, कुल देयक की संख्या एवं उनकी कुल देय धनराशि का विवरण तैयार कर विलम्बतम् 29 मार्च को सम्बन्धित जिलाधिकारी, मण्डलीय संयुक्त निदेशक कोषागार, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें को विशेष वाहक/फैक्स/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करेंगे, जो कोषाधिकारी 28 मार्च की स्थिति की सूचना उपरोक्तानुसार प्रेषित नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(घ) बजट मैनुअल के प्रस्तर– 141 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग विलम्बतम् 28 मार्च तक अन्तिम व्ययाधिक्य एवं समर्पण वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। यदि बजट नियंत्रण अधिकारी/प्रशासनिक विभाग 28 मार्च तक अन्तिम व्ययाधिक्य एवं समर्पण वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो लेखे में किसी भी प्रकार के अन्तर या त्रुटि आने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारी का सीधा उत्तरदायित्व होगा और वही वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार होगा।

4. चूंकि कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो गई है। अतः बजट सम्बन्धी भुगतान चेक कर "कम्प्यूटर क्लॉक" स्वमेव तिथि अंकित करता है। ऐसा करने से 31 मार्च की रात्रि 12 बजे के बाद पूर्व तिथि में किसी भी चेक को निर्गत करना सम्भव नहीं है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी दशा में किसी भी कोषाधिकारी द्वारा हाथ से तैयार चेक निर्गत नहीं किया जायेगा।

5. यदि कोषागार का कम्प्यूटर खराब हो तो तुरन्त निदेशक, कोषागार से सम्पर्क स्थापित कर स्थिति की जानकारी उन्हें दी जाय तथा उनकी सहमति प्राप्त कर विशेष परिस्थितियों में कोषाधिकारी के द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की जिला इकाई पर कोषागार का "साफ्टवेयर" डालकर, कोषागार से सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही संचालित की जायेगी। जैसे ही कोषागार का कार्य पूर्ण हो जाय, कोषागार से भिन्न कम्प्यूटर पर "लोड" किये गये "साफ्टवेयर" विलोपित (डिलीट) कर दिये जांए, जिससे "साफ्टवेयर" का दुरूपयोग न हो सके। ऐसा करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी की होगी तथा इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

6. प्राप्ति तथा निक्षेप सम्बन्धी कार्य पूर्व की भांति 31 मार्च तक सम्पादित किये जाते रहेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इसके अनुपालन में शिथिलता/निर्देशों से विचलन को गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
ह0/—
इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

संख्या 356 (1)/XXVII(1)/2005 एवं तददिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरांचल।
4. स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल शासन, नई दिल्ली।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
8. संयुक्त निदेशक, कोषागार गढ़वाल तथा कुमाऊं मण्डल।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
10. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई देहरादून।
11. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।
12. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी उत्तरांचल।
14. निदेशक, प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
21.03.05
(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव।